

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-7  
संख्या-765/नौ-7-17-14(ज0)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि नगर निगम, लखनऊ के महापौर डा० दिनेश शर्मा द्वारा दिनांक 19.03.2017 को महापौर पद से त्याग पत्र दे दिये जाने के फलस्वरूप लखनऊ के महापौर का पद रिक्त हो गया है।

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव।

संख्या-765(1)/नौ-7-17-14(ज0)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्रीण ऐशबाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उ०प्र० असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-(ख) में दिनांक 22 मार्च, 2017 को प्रकाशित कराकर उसकी 20 मुद्रित प्रतियां नगर विकास अनुभाग-7, बापू भवन, आठवां तल, लखनऊ तथा राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय) उ०प्र० पी०सी०एफ० भवन, लखनऊ को कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

सुधीर सिंह चौहान

संयुक्त सचिव।

संख्या-765(2)/नौ-7-17-14(ज0)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत तथा नगरीय निकाय), उ०प्र०, पी०सी०एफ० भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(श्रवण कुमार सिंह)  
उप सचिव।